फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

सरपंच ग्राम पंचायत गजनेर बनाम जयनारायण

किस्म मुकदमा 225 आरटीए **नम्बर....64..../2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.20	अभिभाषक अपीलांट श्री जयदयाल शर्मा उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम माडिया मानसर तहसील कोलायत के खेत खसरा नम्बर 578 तादादी 134.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 221 तादादी 8.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 100 तादादी 9.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 574 तादादी 9.12 हेक्टर भूमि जमाबन्दी संवत् 2072–2075/2076 के अनुसार सिवायचक नाकाबिल काश्त गोचर की भूमि है। जिसके संरक्षण व सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। परन्तु उक्त गोचर की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बनाई गई सड़क के निर्माण को रूकवाने हेतु पूर्व में सरपंच ग्राम पंचायत गजनेर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा दिनांक 26–10–2020 को उक्त अनाधिकृत रूप से बनाई गई ग्रेवल सड़क को हटाने के निर्देश जारी किये गये। उक्त स्थिति के बावजूद अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18–12–2020 को अपीलांट अर्थात सरपंच ग्राम पंचायत को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड को यथास्थिति में रखने के आदेश प्रदान करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है। प्रकरण में एक ही अदालत द्वारा भूमि के बाबत् समय–समय पर विरोधाभासी आदेश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पूर्व में जारी आदेश की पालना में अनावश्यक पेचिदगियॉ उत्पन्न हो रही है। चूंकि वादग्रस्त भूमि एक गोचर भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के सड़क निर्माण किया जाना पूर्ण रूप से अवैधानिक है। इस संबंध में समय–समय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.01.19 16:40:58 IST
Reason: SelfAttested

पर ग्रामवासियों द्वारा व सरपंच, गजनेर द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये जा चुके है। अदालत मातहत के समक्ष तमाम स्थिति सामने होते हुए भी अपीलांट, सरपंच ग्राम पंचायत के प्रार्थना पत्रों व अपने पूर्व के आदेशों को दरकिनार करते हुए आदेश पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने के आदेश विधि विरूद्व व कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर अपील की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा अपने पत्र कमांक एसडीओ/राजस्व/2020/2070 दिनांक 26.10.2020 के माध्यम से ग्राम माडिया मानसर के खसरा नम्बर 100 तादादी 2.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 221 तादादी 8.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 574 तादादी 9.12 हेक्टर व खसरा नम्बर 578 तादादी 134.84 हेक्टर भूमि जोकि राजस्व रिकार्ड अनुसार गोचर भूमि है, पर बनी अनाधिकृत ग्रेवल सड़क को हटाने के निर्देश प्रदान किये गये। इसी प्रकार विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोलायत द्वारा अपने पत्र कमांक पंसको/2020–21/1212–13 दिनांक 20–11–2020 के माध्यम से भी वादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत बनाई गई ग्रेवल सड़क को पुलिस जाब्ते के साथ हटाने के निर्देश दिये गये थे।

प्रकरण में उपरोक्त स्थिति अदालत मातहत के सामने प्रस्तुत होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपने पूर्व के आदेशों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–12–2020 को वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये है। चूंकि प्रकरण जनहित व गोचर से जुड़ा होने के बावजूद भी अदालत मातहत ने पंचायत को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में त्रूटि कारित की गई है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी संवत् 2072–2075/2076 में भी वादग्रस्त भूमि के सिवायचक नाकाबिल काश्त गोचर होने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत सड़क निर्माण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.01.19 16:40:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हटाने के पूर्व के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रकरण में एक ही भूमि के बाबत् समय–समय पर विरोधाभासी आदेश पारित किये गये है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि सिवायचक नाकाबिल काश्त गोचर है। लिहाजा ऐसी भूमि पर बिना किसी सक्षम स्वीकृत के सड़क निर्माण करवाया जाना युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों के बावजूद आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय के आदेश को कायम रखने का कोई औचित्य प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अपीलांट की अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 18–12–2020 निरस्त किया जाता है। अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष जैरकार प्रकरण में सरपंच, ग्राम पंचायत, गजनेर को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.01.19 16:40:58 IST
Reason: SelfAttested